सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 105/2017

प्रार्थीया

1- श्रीमति जड़ाव देवी पिता स्वर्गीय किशनाराम माता स्व. श्रीमति जेठी जाति जाट उम्र 65 साल मूल निवासी डिकावा हाल विजयपुरा तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान (फौत)
1/1 – झुमरराम माता स्व. जड़ावदेवी पिता दुलाराम जाति जाट उम्र 52 साल निवासी विजयपुरा तहसील मकराना जिला नागौर।
2- श्रीमति राजु देवी पिता स्वर्गीय किशनाराम माता स्व. श्रीमति जेठी जाति जाट उम्र 60 साल मूल निवासी डिकावा हाल बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण

1- श्रीमति सुखीदेवी पत्नि स्व. गंगाराम जाति जाट उम्र 58 वर्ष निवासी डिकावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।
2- स्टेट बैंक आफ इंडिया पूर्व में एस.बी.बी.जे.बैंक शाखा डीडवाना
3- तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित – श्री रामगोपाल एवं श्री समंदरसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री रामेश्वरलाल अप्रार्थी सं.1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 06/09/2019

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अदालत में प्रस्तुत कर रखा है जो जैरतजबीज है, जिसमे प्रार्थी को शत प्रतिशत सफलता मिलने की उम्मीद है,ग्राम डिकावा तहसील डीडवाना की सरहद में राजस्व कृषि भूमि खसरा नम्बर 270, 275 में 1/2 की खातेदारी स्व. जेठी देवी पत्नि स्व. किशनाराम की रही है जिसके देहान्त वर्ष 1987–1988 के उपरान्त उक्त कृषि भूमियों का म्यूटेशन उसके पुत्र स्व. गंगाराम अकेले के नाम दर्ज कर दिया गया वस्तुतः जेठी देवी के उक्त गंगाराम के अतिरिक्त तीन पुत्रियाँ भी थी, जिनमें से दो पुत्रिया प्रार्थीगण है, जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

स्व. जेठी पत्नि स्व. किशनाराम

नारायणी	जड़ाव देवी	राजुदेवी	स्व. गंगाराम
(पुत्री)निसन्तान मृत्यु	(पुत्री)	(पुत्री)	(मृत्यु 28.06.17) पुत्र पत्नि सुखी देवी प्रतिवादिया

स्व. श्रीमति जेठी देवी का पीहर ग्राम डिकावा में ही था, उसका विवाह ग्राम बगतपुरा में हुआ था चूँकि पिता के कोई पुत्र नही होने से उक्त जेठी अपने पति

.....2.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के साथ वापस अपने पिता के घर डिकावा आकर रहने लगी, जिसको उपरोक्त कृषि भूमियों की खातेदारी प्राप्त हुई उसने अपने जीवन पर्यन्त उक्त कृषि भूमियों को बोया जोया व कब्जा काश्त की तथा वह एक मात्र खातेदार थी, श्रमति जेठीदेवी का देहान्त वर्ष 1988 में ग्राम डिकावा में हो गया, जिसके उपर वर्णित तीन पुत्रिया व एक पुत्र गंगाराम उत्पन्न हुआ, तीन पुत्रियो में से एक पुत्री नारायणी का निसन्तान देहान्त हो गया तथा दो पुत्रिया व एक पुत्र जीवित है वर्ष 1988 में जेठी के देहावसान उपरान्त उक्त कृषि भूमियों का म्यूटेशन उसकी तीनो पुत्रियों व एक पुत्र यानि चारो के नाम भरा जाना चाहिये था, किन्तु राजस्व कर्मचारियो की सदभावी भूल से अकेले पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज कर दिया गया, वस्तुतः उक्त कृषि भूमियों में कानूनन खातेदारी तीनो पुत्रियो व एक पुत्र चारो की बराबर बराबर की थी, एक पुत्र नारायणी का निसन्तान देहान्त हो जाने के कारण वाद निहित कृषि भूमियो में तीनो का हक हिस्सा खातेदारी व अधिकार है, स्वर्गीय गंगाराम का देहान्त अभी हाल ही में 28.06.2017 को हुआ तब म्यूटेशन दोनो जीवित पुत्रिया यानि वादिया पक्ष एवं निसन्तान स्वर्गीय गंगाराम की एकमात्र पत्नि सुखीदेवी कुल तीनो के नाम म्यूटेशन दर्ज किये जाने का विषय आया तो उक्त सुखी देवी भड़क गयी और उसने एतराज उत्पन्न किया जबकि विधिक रूप से तीनो का बराबर का हक अधिकार है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15, 16 में दिये गये प्रावधानों के मुताबिक भी निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी (श्रीमति जेठी) की सम्पति 15 (1) (क) के मुताबिक प्रथमतः उसके पुत्र व पुत्रियों को समान रूप से प्राप्त होती है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी सुखीदेवी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पावंद फरमाया जावे कि वह उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे तथा अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज नही करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, अप्रार्थी सं. 3 उपस्थित आये जिन्होने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा, अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्व प्रार्थी ने किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। दौराने प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया जड़ाव देवी फौत होने से उसके कायम मुकाम झूमरराम को रेकार्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम डिकावा के खसरा नम्बर 270 275 अवस्थित है एवं स्व. जेठीदेवी पत्नि स्व. किसनाराम जिसका देहान्त 1987–88 में हुआ है उसके पश्चात उसके पुत्र गंगाराम के अकेले के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, प्रार्थीगण द्वारा स्व. जेठी देवी एवं गंगाराम के जीवन काल में किसी प्रकार का एतराज नही किया

.....3.....

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जिससे प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है, श्रीमति जेठी देवी का पीहर ग्राम डिकावा मे था, उसका विवाह ग्राम बगतपुरा में हुआ था क्योंकि पिता के कोई पुत्र नही होने से उक्त जेठी देवी अपने पिता के साथ वापस अपने पिता के घर ग्राम डिकावा में आकर रहने लगी, वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगणों का कभी कब्जा काश्त नही रहा है उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 1 एवं उससे पूर्व उनके पति गंगाराम ही बाह जोत करते आये है, इससे पूर्व जेठी देवी का कब्जा काश्त रहा है, प्रार्थीगणो के शादी इत्यादि में गंगाराम द्वारा ही खर्चा किया गया है तथा भात मायरा भी गंगाराम द्वारा ही समय समय पर भरा गया है, प्रार्थीगण ने स्व. गंगाराम की मृत्यु दिनॉक 28.06.2017 के पश्चात षड़यंत्रपूर्वक अप्रार्थी सं. 01 की कृषि भूमि हड़पने व उसके कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जो अवधि पार है जो खारिज योग्य है। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी एवं गिरदावरी की नकल प्रस्तुत हुई।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई जिन्होने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–2073 ग्राम डिकावा तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 270 रकबा 1.03 बीघा भंवरलाल रामदेव रामनिवास अमितदास सोहनराम मांगीलाल बोदूराम पि. भोलूराम तुलछी बेवा भोलूराम चूनाराम चौथूराम पि. भींवा हिस्सा 1/2 गंगाराम पुत्र जेठी 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 275 रकबा 72.15 बीघा भंवरलाल रामदेव रामनिवास ओमप्रकाश सोहनराम मांगीलाल बोदूराम पि. भोलूराम तुलछी बैवा भोलूराम 1/6 चुनाराम पुत्र भींवाराम 1/6 चौथूराम पुत्र भींवार 1/12 बाली देवी पत्नि चौथूराम 1/12 गंगाराम पुत्र जेठी 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन चौथूराम का हिस्सा एस.बी.आई शाखा डीडवाना मूर्तहीन राहिन गंगाराम दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की माता जेठीदेवी के नाम दर्ज चली आई, तथा उसकी मृत्यु वर्ष 1987–88 पश्चात उसके पुत्र गंगाराम के नाम भूमि दर्ज चली आई, तीस वर्ष पश्वात प्रार्थीगणो द्वारा वाद एवं प्रार्थना–पत्र बदनीयतिपूर्वक प्रस्तुत कर अप्रार्थी को परेशान किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पिता की संपत्ति में बेटियों के बराबर के अधिकार को सीमित कर दिया है, कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संसोधन से पहले हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में बेटियों को संपत्ति में बराबर के अधिकार से वंचित रखा जाएगा,

अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के संशोधित प्रावधान के एक सामाजिक विधान होने के बावजूद पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता. कोर्ट ने बताया कि बेटी को संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार तभी माना जाएगा, जब पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हों.

.....4.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

गौरतलब है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपति में किसी तरह के कानूनी अधिकार की बात नहीं कही गई. जबकि संयुक्त हिंदू परिवार होने की स्थिति में बेटी को जीविका की मांग करने का अधिकार दिया गया था. बाद में 9 सितंबर 2005 को इस ओर संशोधन लाकर पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार दिया गया.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को पिता की संपति में अधिकार देने के नए कानून हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून- 2005 की व्याख्या करते हुए एक फैसले में कहा था कि 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुके संपत्ति बंटवारों पर यह कानून लागू नहीं होगा, फिर चाहे इसमें बेटी को हिस्सा मिला हो या नहीं. कानून की धारा 6 (5) में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूर्व में हो चुके ऐसे बंटवारे नए कानून से अप्रभावित रहेंगे. लेकिन इस तारीख के बाद हुए बंटवारे पूरी तरह से नए कानून के दायरे में आएंगे.

इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीण साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 06/09/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner